



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218761
CG-DL-E-18032020-218761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1010]
No.1010]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

का.आ. 1117(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी के उपधारा (5) के अनुसरण में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए इतद् द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के कॉलम (3) और (4) में यथा-विनिर्दिष्ट अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मध्यस्थ द्वारा पंचात करते समय इस अधिनियम की 3 जी की उपधारा (6) और (7) को ध्यान में रखा जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	राजस्व जिला	राज्य
1	2	3	4
1	आयुक्त, इन्दौर	झाबुआ	मध्य प्रदेश
2	आयुक्त, उज्जैन	मंदसौर, आगर एवं रतलाम	मध्य प्रदेश

[फा. सं. NHAI/11013/PIU-Ujjain/Appointment of Arbitrator/FTS-14113/2020]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2020

S.O. 1117(E).—In pursuance of sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officers mentioned in column (2) of the Table below, to be Arbitrator for the purposes of the said sub-section of who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an Arbitrator by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said Table. Sub – Section (6) & (7) of Section – 3G of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

TABLE

SL. No.	Designation of the Officer	Revenue District	State
1.	2.	3.	4.
1.	Commissioner, Indore	Jhabua	Madhya Pradesh
2.	Commissioner, Ujjain	Mandsaur, Agar & Ratlam	Madhya Pradesh

[F. No. NHAI/11013/PIU-Ujjain/Appointment of Arbitrator/FTS-14113/2020]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.